हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.16	वकील अप्रार्थीगण जवाब हेतु अवकाश चाहते है चूंकि कई अवसर दिये जा चुके है. अतः जवाब अप्रार्थीगण बंद किया जाता है। मिसल वास्ते जवाब सरकार दिनांक 25.1.17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद	
25.1.17	पीठासीन अधिकारी के आज न्यायालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 8.3.17 को पेश हो। आदेशानुसार रीडर	
8.3.17	पत्रावली वास्ते जबाव सरकार दिनांक 3/5/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद	
3/5/17	पीठासीन अधिकारी के आज [illegible] से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/ [illegible] कार्य में व्यस्त रहने के कारण [illegible] की पालना में दिनांक 19.6.17 [illegible] पेश हो। आदेशानुसार रीडर	
	न्याय आपके द्वार अभियान - 2017	
19.6.17	पत्रावली कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार में पेश हुई। प्रार्थीगण ने उक्त प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम [illegible] के खसरा नं. 47/42 किता 8, ~~48/43 किता 3/1.95~~ 48/43 किता 3/1.95 रकबा 2.41 [illegible] ग्राम [illegible] के रिकॉर्ड में [illegible] पीठासीन अधिकारी लोक अदालत कैम्प कोर्ट [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	2196/1 रकबा 0.32 की आराजी प्रार्थीगण के पिता अली मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज है। उनका स्वर्गवास हो गया है जिनके वारिस प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 5 है वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता की विरासत दर्ज नही हुई है जिस कारण ~~~~ अप्रार्थीगण उक्त आराजी
28	~~~~ बिना विभाजन अन्यत्र हस्तांतरण करने मे आमादा है व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण को कई अवसर देने के
26.11	उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण जवाब अप्रार्थीगण बन्द किया गया। बाद पैरोकार ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्ध करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख मे अली मोहम्मद वल्द नूरमोहम्मद के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि अली मोहम्मद की मृत्यु हो गयी है एवं
2/11/16	प्रार्थी व अप्रार्थीगण उनके विधिक वारिस है जिसके समर्थन मे प्रार्थीगण ने शजरा/प्रमाणपत्र शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि पेश

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
किन्तु वादग्रस्त आराजी अविभाजित है जिसका विभाजन का अंकन नहीं हुआ है अप्रार्थीगण ने प्रा. पत्र के खण्डन हेतु कोई जवाब पेश नहीं किया है। आराजी मुतनाजा का बँटवारा होना है। प्रकरण के वाद बहुलता होगी। प्रकरण मुताबिक दुरुस्त बहक प्रार्थीगण सिद्ध होता है। तदनुसार सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति भी बहक प्रार्थीगण सिद्ध होती है शेष तय मूल वाद के जरिये आदेश ही सिद्ध होगी। अतः ग्राम बिडू के खाता संख्या 47/42 किता 8 रकबा 2.41, 48/43 किता 3 रकबा 1.05 व ग्राम मवासीखेड़ा के ~~खाता~~ ख. नं. 2796/1 रकबा 0.32 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे। अन्यत्र हस्तान्तरण-बेचान नहीं करे। पत्रावली खर्चा स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। (signature) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : मवासीखेड़ा	